

विहंगावलोकन

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सामान्य और सामाजिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 'इण्डो—नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 'पशुपालन के लिए आधारभूत संरचना की पर्याप्तता और विकास', 'राज्य सड़क निधि से वित्तपोषित सड़क मार्ग निर्माण कार्य', 'कुंभ मेला 2019', 'उत्तर प्रदेश में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन' पर अनुपालन लेखापरीक्षा और सरकारी विभागों पर 17 लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं।

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय परीक्षण है कि क्या सरकारी इकाइयाँ, संस्थाएँ, संचालन, कार्यक्रम, धन, गतिविधियाँ (उनके इनपुट, प्रक्रियाएँ, आउटपुट, परिणाम और प्रभाव के साथ) मितव्ययता, दक्षता और प्रभावशीलता के सिद्धांतों के अनुसार संचालित हो रही हैं और क्या इसमें सुधार की सम्भावना है।

इण्डो—नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में इण्डो—नेपाल सीमा पर एक सड़क का निर्माण नवम्बर 2010 में अनुमोदित किया गया था। इण्डो—नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना को भारत सरकार एवं सम्बद्धित राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाना था। भारत सरकार द्वारा परियोजना के पूर्ण किये जाने की तिथि (31 मार्च 2016) को व्यवधानरहित लम्बाई हेतु दिसंबर 2019 तक और व्यवधानयुक्त लम्बाई हेतु दिसम्बर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इण्डो—नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना सशस्त्र सीमा बल की गतिशीलता बढ़ाने तथा उन्हें बॉर्डर आउट पोस्टों से और अधिक प्रभावी रूप से संवेदनशील सीमाओं पर हावी होने में सक्षम बनाने की परिकल्पना से की गई थी।

उत्तर प्रदेश में परियोजना का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग कर रहा था। प्रदेश में 640 किमी⁰ इण्डो—नेपाल बॉर्डर रोड की प्रारम्भिक लंबाई को सर्वेक्षण के उपरांत संशोधित कर 574.59 किमी⁰ किया गया था, जिसमें 12 स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अन्तर्गत 257.02 किमी⁰ शामिल था। शेष 317.57 किमी⁰ सड़क के लिए 16 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को दिसंबर 2019 तक स्वीकृत नहीं किया गया था। अवधि 2012–20 (दिसंबर 2019 तक) के दौरान विभाग ने परियोजना के क्रियान्वयन पर ₹ 834.50 करोड़ (भारत सरकार की धनराशि ₹ 591.72 करोड़ तथा प्रदेश सरकार की धनराशि ₹ 242.78 करोड़) व्यय किए।

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012–19 की अवधि के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की भूमिका की समीक्षा की गई, जिसमें प्रारम्भिक चरण, परियोजना निष्पादन, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन में कमियों का पता चला, जैसा कि नीचे दिया गया है:

प्रारम्भिक कार्य

- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए दोषपूर्ण/अपूर्ण प्रस्तावों और वन विभाग के साथ सम्बन्ध की कमी के कारण वन और वन्यजीव स्वीकृति, जो कार्य प्रारम्भ करने की प्रारम्भिक शर्त थी, इण्डो—नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना के लिये

अभी तक (दिसंबर 2019) प्राप्त नहीं हुयी थी। इसके अलावा, 2012–13 के दौरान अनुमोदित 574.59 किमी0 सड़क के लिये पूर्व में निर्धारित संरेखण के पुनरीक्षण के लिये राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के कारण वह अप्रभावी हो गया था।

(प्रस्तर 2.2.1)

- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही भूमि अधिग्रहण की गति धीमी थी, क्योंकि दिसम्बर 2019 तक 27 प्रतिशत भूमि (113.10 करोड़ हेक्टेयर) अभी भी अधिग्रहित की जानी थी, जिसका परियोजना के पूर्ण होने में और अधिक विलम्ब होने का सहगामी प्रभाव पड़ा।

(प्रस्तर 2.2.3.2)

- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण के लिए बाधामुक्त स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, क्योंकि अगस्त 2013 से मार्च 2017 के मध्य उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹ 3.23 करोड़ भुगतान किये जाने के बावजूद साईट से 1544 बिजली के खम्भों को हटाये जाने की आवश्यकता के विरुद्ध, केवल 1220 बिजली के खम्भों (79 प्रतिशत) को ही दिसम्बर 2019 तक विस्थापित किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.3.3)

परियोजना क्रियान्वयन

- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की दरों से विचलन करके एवं एक ही प्रकार की मशीनों की अलग—अलग दरें लगाए जाने से परियोजना लागत में ₹ 11.93 करोड़ की वृद्धि हुयी।

(प्रस्तर 2.3.1)

- 13 अनुबंधों में से 11 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति दिये जाने के 34 से 162 दिन पूर्व ही इण्डो—नेपाल बॉर्डर वृत्तों द्वारा निविदा सूचना आमंत्रित की गई थी और स्वीकृति की तिथि से 59 दिन पूर्व वित्तीय बिड भी खोली गई थीं। अग्रेतर, 11 में से 8 निविदाओं में, निर्धारित 52 दिनों की अवधि से 18 से 146 दिनों के विलंब से अनुबंधों का गठन किया गया। चूंकि, सफल निविदादाताओं के बिड अनुमानित लागत से 12.15 प्रतिशत से 49.20 प्रतिशत के मध्य अधिक थे, इसलिए इण्डो—नेपाल बॉर्डर वृत्तों ने अनुबंधों को अनुमोदित अनुमानित लागत के भीतर लाने के लिए बिल ऑफ क्वाटिटी को अनियमित रूप से कम कर दिया।

(प्रस्तर 2.3.2.1)

- मई 2013 और फरवरी 2018 के मध्य 12 कार्यों के निष्पादन के लिए इण्डो—नेपाल बॉर्डर वृत्तों ने अनुबंध गठित किये, जबकि 11 कार्यों में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। यह न केवल वित्तीय नियमों के विरुद्ध था, बल्कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ भी पहुँचा क्योंकि उन्हें ₹ 84.85 करोड़ ब्याज रहित अग्रिमों का भुगतान किया गया था, जिनकी वसूली निर्माण की प्रगति से जुड़ी थी। परिणामस्वरूप, ₹ 27.25 करोड़ (86 प्रतिशत) का मोबिलाइजेशन अग्रिम और ₹ 45.23 करोड़ (85 प्रतिशत) का मशीनरी अग्रिम कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद भी असमायोजित थे और दिसंबर 2019 तक ₹ 7.93 करोड़ (25 प्रतिशत) के मोबिलाइजेशन अग्रिम और ₹ 14.38 करोड़ (27 प्रतिशत) का मशीनरी अग्रिम, वसूली के लिए लंबित थे।

(प्रस्तर 2.3.2.2 और 2.3.2.3)

- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा इण्डो—नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के चलाने पर

₹ 2.46 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया, हालांकि दो कार्यों के सम्बंध में यह मद विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में प्रावधानित ही नहीं था।

(प्रस्तर 2.3.2.4)

- इण्डो-नेपाल बॉर्डर खण्ड, लखीमपुर खीरी द्वारा वन विभाग से अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही मौजूदा तीन मीटर से सात मीटर चौड़ीकरण तथा सीमेंट कंक्रीट से सुदृढ़ीकरण का कार्य कराते हुए वन भूमि पर सड़क निर्माण किया गया। इस प्रकार, सड़क का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन था।

(प्रस्तर 2.3.2.5)

गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण

- मानदंडों के अनुसार सामग्री के अनिवार्य परीक्षण नहीं किए गए थे, उसमें 28 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच कमी थी। निर्धारित मानदंडों के सापेक्ष मुख्य अभियंता (86 प्रतिशत) और अधीक्षण अभियंता (83 प्रतिशत) द्वारा क्षेत्र के निरीक्षण में पर्याप्त कमी थी। यह कार्यों के अधोमानक होने की सम्भावना से भरा हुआ था।

(प्रस्तर 2.4.1 और 2.4.2)

- कन्साइनी रसीद प्रमाण—पत्र प्राप्त किये बिना या इसका सत्यापन किये बिना सड़क निर्माण कार्य में प्रयुक्त बिटुमिन के लिये ठेकेदारों को ₹ 38.44 का भुगतान किया गया, जो न केवल शासकीय आदेश का उल्लंघन था, बल्कि बिटुमिन की गुणवत्ता और मात्रा के साथ समझौता किये जाने की सम्भावना से भरा था।

(प्रस्तर 2.4.3)

वित्तीय प्रबंधन

- कार्य की धीमी प्रगति के कारण सड़क निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि को परियोजना पर पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया जा सका था, क्योंकि भूमि अधिग्रहण लक्ष्य से पीछे चल रहा था, वन विभाग से अनापत्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी और निर्माण स्थल को बाधाओं से मुक्त नहीं किया गया था। दिसंबर 2019 तक भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 650.79 करोड़ के सापेक्ष ₹ 59.07 करोड़ की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी थी।

(प्रस्तर 2.5.1.1)

- अधिष्ठान प्रभार (₹ 13.45 करोड़) की कटौती/व्यय, यूटिलिटी शिपिंटग (₹ 2.85 करोड़), वनीकरण (₹ 0.20 करोड़) और मूल्यव्याप्ति निधि (₹ 1.15 करोड़) को भारत सरकार की निधि से वहन किया गया। यद्यपि भारत सरकार की निधि से इन कटौतियों की अनुमन्यता पर स्पष्टता की कमी थी, क्योंकि इण्डो-नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन का अन्तिमीकरण अभी तक नहीं हुआ था।

(प्रस्तर 2.5.2.1 और 2.5.2.2)

परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब का प्रभाव

- परियोजना के क्रियान्वयन में अप्रत्याशित विलम्ब होने से इसकी निर्माण लागत पर एक सहवर्ती प्रभाव पड़ा, क्योंकि 12 स्वीकृत परियोजनाओं में से नौ परियोजनाओं की लागत को संशोधित करके ₹ 550.12 करोड़ से ₹ 779.20 करोड़ किया गया। इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण में विलम्ब होने से भूमि अधिग्रहण की लागत मूल लागत ₹ 173.53 करोड़ से ₹ 284.80 करोड़ (164 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 458.33 करोड़ हो गई।

(प्रस्तर 2.6)

मुख्य संरेखण पर नहीं पड़ने वाले बॉर्डर आउट पोस्ट के लिए सम्पर्क मार्ग

- बॉर्डर आउट पोस्ट को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये सहमत होने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में सम्पर्क मार्गों के लिये प्रावधान नहीं किया। परिणामस्वरूप पाँच सड़कों के पूर्ण होने के बावजूद इन सड़कों से दूर अवस्थित पाँच बॉर्डर आउट पोस्ट, सम्पर्क मार्ग के माध्यम से जोड़े नहीं गए थे।

(प्रस्तर 2.7)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतन्त्र मूल्यांकन है कि किसी विषयवस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन, एक इकाई या संस्थाओं के समूह के सम्बन्ध में सूचना) का क्रियान्वयन प्रचलित विधियों, नियमों, विनियमों, स्थापित कोड आदि, और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन करती है।

वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा, सरकार के कुछ विभागों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों की नमूना-जाँच में नियमों और विनियमों का पालन नहीं करने, पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय और निरीक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता के प्रकरण प्रकाश में आये जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तरों का विवरण निम्नवत है:

(i) पशुपालन के लिये आधारभूत संरचना की पर्याप्तता एवं विकास की लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग विभिन्न पशु चिकित्सा अवसंरचनाओं, जैसे कि पशु चिकित्सालयों, पशुधन प्रसार केंद्रों, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों, औषधालयों आदि के माध्यम से राज्य में पशुधन क्षेत्र को विकसित करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। यह लेखापरीक्षा, जो कि वर्ष 2014–19 की अवधि को आच्छादित करती है, राज्य में पशुपालन के लिये आधारभूत संरचना की पर्याप्तता एवं वृद्धि हेतु किये गये प्रयासों का परीक्षण करती है। प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- विभाग के पास राज्य की पशुपालन गतिविधियों के सम्बन्ध में चारा और चारागाह विकास, पशु जैव विविधता और आधारभूत संरचना के विकास जैसे मुद्दों हेतु व्यापक पशुधन नीति नहीं थी। यद्यपि विभाग ने पशु चिकित्सालयों को स्थापित करने के लिए मानक निर्धारित किए थे, लेकिन पशु चिकित्सालयों को सुसज्जित करने हेतु कोई मानदंड/मानक नहीं थे।

(प्रस्तर सं 3.1.3)

- विभाग ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) जो कि 2014–15 में भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास में राज्य सरकारों की सहायता के लिए आरम्भ की गई थी, के अंतर्गत पशु चिकित्सा अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करने और निर्माण करने के लिए वांछनीय रणनीतिक एवं वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार नहीं की थीं। निधि की उपलब्धता होने पर भी, विभाग एनएलएम के अंतर्गत पशुपालन की आधारभूत संरचनाओं की वृद्धि करने में विफल रहा और भारत सरकार को ₹ 5.43 करोड़ की धनराशि समर्पित कर दिया। चारागाह को विकसित करने के लिए बंजर भूमि को सुधारने, चारा खण्ड और साइलेज निर्माण इकाइयों की स्थापना और वधशालाओं के स्थापना/आधुनिकीकरण हेतु ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।

(प्रस्तर सं 3.1.4)

- चक गंजरिया पशुधन फार्म की 526.49 हेक्टेयर भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित (अप्रैल 2013) की गयी थी, लेकिन बिक्रय आय ₹ 679.91 करोड़ अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने चक गंजरिया से पशुपालन विभाग के मौजूदा कियाकलाप को दो साल के भीतर अन्य पशुधन फार्मों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था (अप्रैल 2013), हालांकि, अश्व प्रजनन केन्द्र एवं चारा बीज उत्पादन इकाई जो चक गंजरिया फार्म में क्रियान्वित थी, अस्तित्व विहीन हो गयी, क्योंकि ये दूसरे पशुधन फार्म में स्थानांतरित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर सं 3.1.5)

- राज्य सरकार ने सितंबर 2005 में कम से कम 15,000 पशुधन के लिए एक पशु चिकित्सालय का लक्ष्य रखा था। यद्यपि, पशु जनगणना 2012 के अनुसार 22,758 गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के लिए एक पशु चिकित्सालय की उपलब्धता से पशु जनगणना 2019 के अनुसार 23,577 गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के लिये एक पशु चिकित्सालय की उपलब्धता के आधार पर वास्तव में पशुचिकित्सालयों की उपलब्धता की स्थिति और बदतर हो गयी थी।

(प्रस्तर सं 3.1.6.1)

- पशु चिकित्सालयों, पशुधन प्रसार केंद्रों और मोबाइल क्लीनिकों में मानव संसाधन, औषधियों एवं उपकरणों की कमी के कारण मौजूदा पशु चिकित्सा अवसंरचनाओं का उपयोग अप्रभावी था। नमूना परीक्षण किए गए आठ जिलों के 278 पशु चिकित्सालयों में से 41 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी तैनात नहीं थे। कुल मिलाकर, राज्य में पशुचिकित्सा और पैरा—पशु चिकित्सा स्टाफ के 25 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त थे। इसी तरह, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत 177 औषधियों एवं 80 उपकरणों में से, 103 औषधियों एवं 35 उपकरण नमूना परीक्षित किए गए 107 पशु चिकित्सालयों के कम से कम 50 प्रतिशत में उपलब्ध नहीं थे।

(प्रस्तर सं 3.1.6.2, 3.1.6.3 एवं 3.1.6.6)

- पशु चिकित्सा अवसंरचनाओं की परियोजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में पर्याप्त देरी हुई। 45 पशु चिकित्सालयों की पुनर्निर्माण परियोजना (₹ 14.94 करोड़), 2014–15 में निर्धारित की गई थी लेकिन निर्माण कार्य मई 2016 में आरम्भ किया गया। मार्च 2019 तक, सभी 45 पशु चिकित्सालय भवन निर्माणाधीन थे।

(प्रस्तर सं 3.1.6.5)

- राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस), जो पशुधन रोगों के अनुश्रवण हेतु भारत सरकार की योजना, को उत्तर प्रदेश में 2010–11 से लागू किया गया था और फरवरी और मार्च 2011 में राज्य को 893 कम्प्यूटर सिस्टम की आपूर्ति की गई थी। यद्यपि, राज्य में एनएडीआरएस लगभग अक्रियाशील था, क्योंकि 822 नोड्स में से कोई भी नोड्स 2017–18 तक सक्रिय नहीं था। 2018–19 में, 822 नोड्स में से केवल 244 सक्रिय थे लेकिन डेटा अभी भी दैनिक आधार पर प्रविष्ट नहीं किया जा रहा था। नमूना परीक्षित किये गये जनपदों में एनएडीआरएस की अक्रियाशीलता के कारणों में बिजली और इंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता थी।

(प्रस्तर सं 3.1.7)

- विभाग ने परियोजना की व्यवहार्यता का परीक्षण किए बिना मेरठ और अलीगढ़ में मांस की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए कार्य आरम्भ कर दिया। तत्पश्चात, इस परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया और

इसलिए, भवनों के निर्माण पर ₹ 79.56 लाख के अलाभकारी व्यय के पश्चात परियोजना निरस्त कर दी गयी। अग्रेतर, मांस की गुणवत्ता का परीक्षण पशुपालन विभाग के सीमा में नहीं होने के कारण, इसके अन्तर्गत मांस की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना स्वयं में प्रश्नगत थी।

(प्रस्तर सं 3.1.8)

- मरम्मत एवं रखरखाव पर धनराशि के अपर्याप्त आवंटन एवं उपयोग के परिणामस्वरूप पशु चिकित्सा के अवसंरचनाओं की स्थिति कमज़ोर हुई। नमूना परीक्षण हेतु चयनित 100 पशु चिकित्सालय भवनों में से केवल 17 की मरम्मत/अनुरक्षण 2014–19 की अवधि में की गई थी।

(प्रस्तर सं 3.1.9)

(ii) राज्य सड़क निधि से वित्त पोषित सड़क कार्यों की लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने डीजल और मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) पर बिक्री कर के एक निर्धारित अंश से वर्ष 1998 में राज्य सड़क निधि की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि नियमावली, 2013 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि का उपयोग मरम्मत, नवीनीकरण, रखरखाव, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए किया जाना था। राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के अनुमोदन के लिये लोक निर्माण विभाग मंत्री की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति उत्तरदायी थी। सड़क कार्यों के निष्पादन के लिए लोक निर्माण विभाग, नोडल विभाग था।

राज्य सड़क निधि से वित्त पोषित सड़क कार्यों की लेखापरीक्षा, वर्ष 2014–19 की अवधि को आच्छादित करते हुये सड़कों के चिन्हीकरण एवं प्राथमिकता निर्धारण हेतु नियोजन की पर्याप्तता, सड़क कार्यों के आगणनों की लागत प्रभावकारिता एवं शुद्धता, निविदा प्रक्रिया एवं कार्यों को आवंटित करने में पारदर्शिता, निष्पक्षता और गुणवत्ता परक सड़क कार्यों को समय से पूर्ण करने के लिये अनुबन्ध के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए संपादित की गई थी। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार से हैं:

- उत्तर प्रदेश मार्ग विकास नीति (1998) में परिकल्पित किया गया है कि प्रत्येक सड़क का एक कम्प्यूटरीकृत डेटा बैंक बनाया जायेगा जिसमें सड़क की चौड़ाई, सड़क के क्रस्ट की मोटाई एवं संघटन, सबग्रेड में मिट्टी की गुणवत्ता, पुलियों, पुलों, यातायात घनत्व एवं सड़क दुर्घटनाओं की संख्या इत्यादि का विवरण सम्मिलित हो, और एक योजनाबद्ध तरीके से निर्माण कार्यों और कार्यों के अनुरक्षण को लागू करने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने सड़क डेटा के डिजिटलीकरण के लिए एक वेब-आधारित प्रणाली “सृष्टि” विकसित की थी (2015–16) लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विवरण जैसे मिट्टी की कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो (सीबीआर), यातायात घनत्व, पुलिया, पुल और सड़क दुर्घटनाओं इत्यादि का रखरखाव अगस्त 2019 तक ‘सृष्टि’ में नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 3.2.2)

- राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत/नवीनीकरण/रखरखाव हेतु सड़कों के चयन के विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं थे।

(प्रस्तर 3.2.2)

- विभाग ने राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की कुल संख्या, निधियों की उपलब्धता/आवश्यकता, स्वीकृतियों में प्राथमिकता और

पाइपलाइन में रखे जाने वाले कार्यों आदि के आकलन करने के लिए युक्तिपूर्ण योजना तैयार नहीं की थी। चूँकि इन विवरणों का रखरखाव विभाग द्वारा नहीं किया गया था, अतः कार्यों को तदर्थ तरीके से स्वीकृत किया गया था।

(प्रस्तर 3.2.3)

- राज्य सड़क निधि से वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान ₹ 17,128 करोड़ संवितरित किए गए थे। तथापि, राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क कार्यों के लिए धनराशि समय पर अवमुक्त नहीं की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 212 नमूना चयनित कार्यों में से 106 कार्यों, जिनकी कार्य पूर्ण करने की अवधि एक से 24 माह निर्धारित थी, के निष्पादन के लिए धनराशि उनकी स्वीकृति से दो से सात वर्ष की अवधि में अवमुक्त की गयी थी।

(प्रस्तर 3.2.4)

- त्रुटिपूर्ण तकनीकी मापदंडों के उपयोग और मौजूदा निर्देशों का पालन न करने के कारण दोषपूर्ण आगणनों के आधार पर सड़क कार्यों को निष्पादित किया गया, जिसके कारण सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर ₹ 16.32 करोड़ का परिहार्य/अधिक व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.2.5.1 एवं 3.2.5.2)

- स्वीकृतकर्ता प्राधिकारियों ने तकनीकी स्वीकृतियों प्रदान करने में समयबद्धता सुनिश्चित नहीं की थी। नमूना जाँच किये गये 212 कार्यों में से ₹ 681.11 करोड़ के 61 कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियों 17 से 594 दिनों के विलम्ब से प्रदान की गयी थीं।

(प्रस्तर 3.2.6)

- सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना निर्गत की जानी चाहिये थी। तथापि, 212 नमूना जाँच किये गये कार्यों में से ₹ 1,213.34 करोड़ लागत के 169 कार्यों की निविदाएं, विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति के 280 दिन पूर्व तक आमंत्रित की गयी थीं। अग्रेतर, इन 169 कार्यों में से ₹ 520.46 करोड़ लागत के 81 कार्यों की निविदाएं, कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन से 278 दिन पूर्व तक भी आमंत्रित की गयी थीं। अधिकांश प्रकरणों में प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृतियों से पूर्व निविदा आमंत्रित करना इस बात का द्योतक था कि विभाग ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में अपना लिया था।

(प्रस्तर 3.2.7.1)

- प्रमुख अभियन्ता के निर्देशों और केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत, ₹ 115.73 करोड़ लागत के 15 कार्यों की आमंत्रित निविदा सूचना में प्रतिबंधात्मक शर्तों को जोड़ने और ₹ 17.09 करोड़ लागत के 10 कार्यों की बिल आफ क्वांटिटी में संशोधन किये जाने के कारण योग्य ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भागीदारी करने से वंचित किया गया। अग्रेतर, 105 निविदाओं में निगोसियेशन किये जाने के कारणों को दर्ज किये बिना निगोसियेशन किये जाने से अनुबन्ध प्रक्रिया प्रभावित हुई।

(प्रस्तर 3.2.7.3, 3.2.7.4 और 3.2.7.6)

- अगस्त 2014 से मार्च 2019 की अवधि में ई-टेंडर के माध्यम से ₹ 593.54 करोड़ लागत के 130 अनुबन्धों हेतु निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं। तथापि, 78 प्रतिशत से अधिक अनुबन्धों में सुरक्षित जमा, हैसियत प्रमाणपत्र, शपथपत्र आदि

दस्तावेजों को भौतिक रूप से स्वीकार किया गया। इस प्रकार, ई-निविदा के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 3.2.7.7)

■ लोक निर्माण विभाग के खण्ड अनुबन्धों के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहे। वर्ष 2014–19 के दौरान 14 अनुबन्धों के सापेक्ष ठेकेदारों को ₹ 22.36 करोड़ के उपकरण अग्रिम का भुगतान किया गया। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपकरण अग्रिम का उपयोग उपकरणों की खरीद के लिये ही किया गया, ₹ 20.76 करोड़ के अग्रिम के सापेक्ष बीजक ठेकेदारों से प्राप्त नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री के सापेक्ष छ: ठेकेदारों को ₹ 14.54 करोड़ के ब्याजमुक्त सुरक्षित अग्रिम का भुगतान वर्ष 2014–19 के दौरान किया गया था, जो अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के तहत अनुमन्य नहीं था। अग्रेतर, ठेकेदारों के बिलों से रिटेंशन मनी (₹ 1.33 करोड़) एवं लेबर सेस (₹ 24.44 लाख) की कटौती न किये जाने से ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई 2017 के पूर्व गठित 31 अनुबन्धों के सापेक्ष ₹ 13.40 करोड़ का भुगतान करते समय वस्तु एवं सेवाकर का समायोजन सुनिश्चित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.2.7.9)

■ निर्धारित तंत्र के माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण का अनुश्रवण असंतोषजनक था क्योंकि गुणवत्ता परीक्षणों का विवरण एवं उनकी संख्या का उल्लेख किसी भी नमूना जांच किये गये आगणनों में नहीं किया गया था और नमूना जांच किये गये खण्डों द्वारा गुणवत्ता परीक्षणों से सम्बंधित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था। अग्रेतर, ठेकेदारों से सी0आर0सी0 प्राप्त किये बिना 19 खण्डों द्वारा 111 अनुबन्धों के सापेक्ष बिटुमिनस मदों के लिये ₹ 309.67 करोड़ के भुगतान किये गये थे।

(प्रस्तर 3.2.8)

(iii) कुम्भ मेला 2019 की लेखापरीक्षा

प्रयागराज में 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक कुम्भ मेले का आयोजन किया गया था। कुम्भ मेले के आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा संगम एवं उसके आसपास के लगभग 3200 हेक्टेयर रेतीले क्षेत्र को 20 सेक्टरों में विभाजित कर विकसित किया गया था। नगर विकास विभाग कुम्भ मेले के आयोजन हेतु नोडल विभाग था तथा साथ ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग भी था जिसे राज्य सरकार द्वारा इलाहाबाद में माघ मेला, कुम्भ मेला और महाकुम्भ मेला के प्रबंधन हेतु गठित (नवंबर 2017) किया गया था। राज्य सरकार द्वारा आगंतुकों और तीर्थयात्रियों के जमावड़े हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ साथ स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की भौतिक अवसंरचनाओं को संवर्धित किया गया था। कुम्भ मेला 2019 की अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

■ नगर विकास विभाग ने कुम्भ मेला अधिकारी, जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, को ₹ 2744 करोड़ स्वीकृत किया था जिसके सापेक्ष जुलाई 2019 तक ₹ 2112 करोड़ व्यय हो चुके थे। कुम्भ मेला अधिकारी को धनराशि निर्गत करने के अतिरिक्त कुम्भ मेले से सम्बंधित कार्यों/क्रय हेतु अन्य विभागों द्वारा भी अपने बजट प्राविधान से धनराशि निर्गत की गयी थी। चूँकि अन्य विभागों द्वारा आवंटन एवं व्यय की सूचना कुम्भ मेला अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी इसलिए कुम्भ मेला में आवंटित धनराशि एवं व्यय की समग्र स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

(प्रस्तर 3.3.2)

- अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष के उपयोग हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार ने कुम्भ मेले के लिए बचाव उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा राहत कोष से ₹ 65.87 करोड़ का व्यावर्तन किया, जो राज्य सरकार के बजट प्रावधान से प्राप्त होना चाहिए था।

(प्रस्तर 3.3.2.1)

- लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय स्वीकृति के बिना सड़कों की मरम्मत एवं सड़क के किनारे के पेड़ों पर चित्रकारी से सम्बंधित ₹ 1.69 करोड़ के छ: कार्य निष्पादित कराये। इसके अतिरिक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कुंभ मेले का प्रचार-प्रसार करने के लिये ₹ 14.67 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष ₹ 29.33 करोड़ की धनराशि का कार्य आवंटित किया।

(प्रस्तर 3.3.2.2)

- कुम्भ मेला अधिकारी, विभिन्न संस्थाओं को टेन्टेज सामाग्रियों के निर्गम एवं उनकी वापसी पर प्रभावपूर्ण निगरानी रखने में विफल रहे, जिसके कारण वेण्डर ने वापस न हुए टिन, तम्बू एवं फर्नीचर के एवज में ₹ 21.75 करोड़ के मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया। यद्यपि, कुम्भ मेला अधिकारी द्वारा खोये हुए वस्तुओं के एवज में वास्तविक देय राशि सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 3.3.2.3)

- विभागों ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया, जिसके कारण 58 स्थायी एवं 11 अस्थायी प्रकृति के कार्य (15 प्रतिशत कार्य) कुम्भ मेला प्रारंभ होने तक पूर्ण नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त, गृह (पुलिस) विभाग द्वारा अदक्ष क्रय-प्रक्रिया के कारण, कुम्भ मेले हेतु क्रय किये गए अग्निशमन वाहनों, सामग्री जांच यन्त्रों, टायर किलरों, डिजिटल रेडियो एचएफ सेटों एवं ड्रोन कैमरों (लागत: ₹ 7.83 करोड़) को कुम्भ मेले के दौरान या तो प्राप्त नहीं किया गया या उनका उपयोग नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.3.3 एवं 3.3.3.1)

- लेखापरीक्षा में सड़क के कार्यों में अधिक अनुमान (₹ 3.11 करोड़); नौ सड़क के कार्यों के निर्माण में अतिरिक्त ऑफसेट बिछाने के कारण अतिरिक्त व्यय (₹ 95.75 लाख); ठेकेदारों द्वारा कम निष्पादन प्रतिभूति जमा किये जाने (₹ 6.33 करोड़); कम क्षमता वाले ठेकेदारों को अनियमित रूप से कार्यों के ठेके दिए जाने; बैरिकेडिंग कार्यों (₹ 3.24 करोड़); तथा फाइबर प्रबलित प्लास्टिक शौचालय के कार्यों (₹ 8.75 करोड़) पर परिहार्य व्यय एवं ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान (₹ 1.27 करोड़) के प्रकरण प्रकाश में आये।

(प्रस्तर 3.3.4, 3.3.5.1, 3.3.6, 3.3.7.2, 3.3.8.1, 3.3.8.2 एवं 3.3.8.3)

- नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के विषय को प्रभावी ढंग से निपटाया नहीं गया। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, बांसवार के निष्क्रिय रहने के कारण, संयंत्र-स्थल पर कुम्भ मेला प्रारम्भ होने से पूर्व ही 3,61,136 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का ढेर बन गया था, जो बाद में जनवरी 2019 से मार्च 2019 की अवधि में 52,727 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट की अतिरिक्त मात्रा के संकलन से और बढ़ गया।

(प्रस्तर 3.3.9.1)

- निर्माण कार्यों में गुणवत्ता-आश्वासन असंतोषजनक था क्योंकि गुणवत्ता की जांच के लिए निर्धारित अधिकांश परीक्षण नहीं किए गए थे। थर्ड पार्टी जांच एजेंसी

की निरीक्षण रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की जांच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने थर्ड पार्टी जांच एजेंसी द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों हेतु ठेकेदारों पर अधिरोपित दंड का कार्य-वार अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया।

(प्रस्तर 3.3.10.1 एवं 3.3.10.2)

- क्रय किये गए सामानों एवं सामाग्रियों के पश्च-मेला उपयोग सहित बुनियादी ढांचों और सुविधाओं के सृजन हेतु, मानक/मानदंड आधारित कोई दीर्घकालिक भावी योजना तैयार नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 3.3.11)

(iv) उत्तर प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की लेखापरीक्षा

भारत सरकार ने 2007–08 एवं 2014–15 में क्रमशः दो योजनायें—सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी०पी०पी० योजना) के माध्यम से 1396 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन एवं मौजूदा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उन्नयन (मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान योजना) प्रारम्भ की। इन योजनाओं का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति से प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं प्रशिक्षण को अधिक माँगपरक बनाकर उद्योग के साथ इन्टरफेस करके प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार के अवसरों में सुधार करना था। उत्तर प्रदेश में पी०पी०पी० योजना एवं मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान योजना के अन्तर्गत क्रमशः 115 एवं दो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आच्छादित थे। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत उन्नयन गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

- योजनाओं के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के चयन ने उद्घाटित किया कि निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं किया गया। पी०पी०पी० योजना के अन्तर्गत, 26 (22 प्रतिशत) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्धता सहित एक या एक से अधिक मापदण्ड पूरे नहीं किए और इस लिये वे योजना के लिये पात्र नहीं थे। मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान योजना के अन्तर्गत दोनों ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा एक व्यवसाय (इलेक्ट्रीशियन) का चयन किया जाना अनियमित था क्योंकि इलेक्ट्रीशियन व्यवसायों के उन्नयन हेतु भारत सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पहले ही वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी थी।

(प्रस्तर : 3.4.2)

- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आसपास के प्रमुख उद्योग समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग भागीदारों का चयन योजनाओं का आधार था। तथापि, पी०पी०पी० योजना के अन्तर्गत 2007–11 के मध्य चयनित 80 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उद्योग समूहों की पहचान किसी मापदण्ड के बिना तथा दिशा निर्देशों में उल्लिखित उद्योग संगठनों के परामर्श/सहमति के बिना की गयी थी। अप्रैल 2011 में भारत सरकार ने उद्योग भागीदारों के चयन हेतु अधिक विशिष्ट मापदण्ड निर्धारित किए। तथापि, 2011–12 की अवधि में चयनित 35 में से 21 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उद्योग भागीदारों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य मापदण्डों को पूरा नहीं किया।

(प्रस्तर : 3.4.3)

- उद्योग भागीदारों ने योजना में सक्रिय भागीदारी नहीं की और परिणामस्वरूप प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की योजना में परिकल्पित उद्योग भागीदारों की सम्बद्धता का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। नमूना जाँच हेतु चयनित किसी भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग भागीदारों ने पी०पी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षुओं हेतु ऑन द जॉब प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की थी। मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान योजना के सम्बन्ध में प्रशिक्षुओं का औद्योगिक सम्बद्धता अत्यन्त न्यून था।

(प्रस्तर : 3.4.3.1)

- पी०पी०पी० योजना के अन्तर्गत चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण का उपभोग निर्धारित पाँच वर्ष की समयावधि में नहीं कर सके। 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निधियों का उपभोग 70 प्रतिशत से कम रहा। मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान योजना के अन्तर्गत दोनों राजकीय संस्थान, उपभोग प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब एवं निधियों के उपभोग की धीमी गति के कारण, उनके लिए निर्धारित आवंटन (₹ 19.00 करोड़) का केवल 49 प्रतिशत ही प्राप्त (₹ 9.35 करोड़) कर सके।

(प्रस्तर : 3.4.4.1)

- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की भौतिक आधारभूत संरचना का उन्नयन हुआ, तथापि, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने संस्थान विकास योजना (आई०डी०पी०) में अनुमोदित निधियों के उपयोग की योजना का पालन नहीं किया। नमूना जाँच हेतु चयनित 19 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 14 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने संस्थान विकास योजना के प्रत्येक घटक हेतु प्रावधानित निधियों से परे ₹ 3.36 करोड़ का अनधिकृत रूप से अधिक व्यय सम्पादित किया। अधिक व्यय की धनराशि संस्थान विकास योजना के अन्य घटकों हेतु प्रावधानित धनराशियों के व्यावर्तन से प्राप्त की गयी। दो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने सिविल कार्यों एवं उपकरणों तथा भण्डार के क्रय में ₹ 1.81 करोड़ का अलाभकारी व्यय किया।

(प्रस्तर : 3.4.4.2 एवं 3.4.4.3)

- नये व्यवसायों को खोलने के लिए मानव संसाधनों की उपलब्धता में अपेक्षित विलम्ब के परिप्रेक्ष्य में एक को छोड़कर, नमूना जाँच हेतु चयनित किसी भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने अपने सम्बन्धित आई०डी०पी० में नए व्यवसाय प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साकेत, मेरठ ने किसी नये व्यवसाय को प्रारम्भ नहीं किया, जबकि उसके द्वारा तीन नये व्यवसायों का खोला जाना प्रस्तावित था। इस प्रकार, उद्योगों की आवश्यकताओं एवं कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता के मध्य असन्तुलन की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर : 3.4.5.1)

- योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण, मानव संसाधनों की उपलब्धता असन्तोषजनक थी, क्योंकि अनुदेशकों के संवर्ग में कमी पी०पी०पी० योजना के अन्तर्गत नमूना जाँच हेतु चयनित 18 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 14 से 100 प्रतिशत के मध्य एवं मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान योजना में 14 से 61 प्रतिशत के मध्य थी। इसके अतिरिक्त नमूना जाँच किये गये 19 में से 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, 2014–19 के मध्य प्रधानाचार्य या तो तैनात नहीं थे या असतत् रूप से तैनात किए गए थे।

(प्रस्तर : 3.4.5.2)

- उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए दी गयी सहायता अपर्याप्त थी, क्योंकि पी०पी०पी० योजना के अन्तर्गत नमूना जाँच हेतु चयनित छः राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्लेसमेंट सेल का गठन नहीं किया गया था। नमूना चयनित अवशेष 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यद्यपि प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया था, तथापि, प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट सम्बन्धी अभिलेख या तो उपलब्ध नहीं थे या केवल कुछ प्रशिक्षुओं के उपलब्ध थे। विभाग ने प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट की स्थिति का अनुश्रवण भी नहीं किया, जो त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत की जानी थी।

(प्रस्तर : 3.4.5.3)

- चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता का लक्षित उद्देश्य पी०पी०पी० योजना के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि किसी भी नमूना जाँच हेतु चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने राजस्व सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया तथा अधिकांश सुझाए गए उपायों को लागू न करने के कारण 2014–19 की अवधि में राजस्व सृजन के लक्ष्य प्राप्ति में 86 से लकर 100 प्रतिशत तक कमी रही। पी०पी०पी० योजना के अन्तर्गत चयनित 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 25 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिन्हें मार्च 2019 से ऋण की पहली किश्त चुकाना अपेक्षित था, इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिबद्धता पूर्ण करने में विफल रहे।

(प्रस्तर : 3.4.6.1 एवं 3.4.6.2)

- पी०पी०पी० योजना का अनुश्रवण अपर्याप्त था क्योंकि राज्य संचालन समिति (एस०एस०सी०) की सहायता के लिए राज्य कार्यान्वयन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था। एस०एस०सी० ने मुख्य निष्पादन संकेतक (के०पी०आई०) के सन्दर्भ में, 2014–18 की अवधि में प्रत्येक आई०एम०सी० के प्रदर्शन की जाँच एवं समीक्षा नहीं की। 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संकलित के०पी०आई० पहली बार मार्च 2019 में एस०एस०सी० प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, एस०एस०सी० ने कम के०पी०आई० अंकों के सम्बन्ध में आई०एम०सी० को कोई निर्देश निर्गत नहीं किये।

(प्रस्तर : 3.4.7)

(v) लेखापरीक्षा प्रस्तर

- बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए क्रय किये गये स्कूल बैग की निविदा प्रक्रिया विसंगति पूर्ण थी, स्कूल बैग की आपूर्ति एवं वितरण में विलम्ब ने 1.15 करोड़ विद्यार्थियों को वर्ष 2016–17 में स्कूल बैग प्राप्त करने से वंचित कर दिया, साथ ही तीन वर्षों से अधिक समय से ₹ 9.46 करोड़ मूल्य के 6.55 लाख स्कूल बैग अवितरित पड़े थे।

(प्रस्तर : 3.5)

- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के छात्रावासों में वाईफाई नेटवर्किंग प्रणाली के कार्यशील नहीं होने के कारण छात्र इच्छित लाभों से वंचित रहे और परिणामस्वरूप उक्त की स्थापना पर किया गया ₹ 2.14 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर : 3.6)

- 10,73,639 घनमीटर उत्थनित चट्टानों को तदर्थ दरों पर ठेकेदारों को विक्रय किये जाने एवं अपारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 90,054 घनमीटर चट्टानों को अनुपयोगी घोषित किये जाने से शासन को ₹ 28.44 करोड़ की हानि हुई। अग्रेतर, सिंचाई कार्यों

के दौरान उत्खनित उपखनिजों के निस्तारण हेतु कोई विशिष्ट दिशानिर्देश निर्गत नहीं किये गये थे।

(प्रस्तर : 3.7)

- खनन अनुमति प्राप्त किए बिना कार्य में प्रयुक्त किये गये उपखनिजों की लागत की वसूली न करके विभाग ने ठेकेदार को ₹96.98 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया।

(प्रस्तर : 3.8)

- औषधियों/ड्रग्स की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में ₹ 6.17 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित करने में विभाग विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचा और साथ ही रोगियों के अपर्याप्त उपचार का जोखिम भी बना रहा।

(प्रस्तर : 3.9)

- विभाग के ढुलमुल रवैये के परिणामस्वरूप सेंट्रल आक्सीजन सिस्टम के क्रय पर ₹1.88 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ, जिसे आठ से दस वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी क्रियाशील नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर : 3.10)

- आगरा और गोंडा की जिला पंचायतों के क्षेत्राधिकार में चल रही मदिरा की दुकानों के अनुज्ञाप्तिधारियों को अनुज्ञाप्ति शुल्क के भुगतान हेतु समय पर देयक एवं मांग-पत्र जारी करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना।

(प्रस्तर : 3.11)

- सेतु के निर्माण से पूर्व अपर्याप्त विस्तृत सर्वेक्षण एवं नदी की धारा में परिवर्तन के बाद सुधारात्मक कार्रवाई करने में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप जनपद आगरा में मेहरा-नाहरगंज-टूडला मार्ग पर यमुना नदी के ऊपर बने अपूर्ण सेतु पर ₹16.17 करोड़ का निष्फल व्यय।

(प्रस्तर : 3.12)

- जनपद आगरा में एक सेतु के निर्माण कार्य को उसके सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के बिना आरम्भ किये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ का निष्फल व्यय।

(प्रस्तर : 3.13)

- बिन्दकी कस्बा, जनपद फतेहपुर के पास बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप नौ वर्षों के व्यतीत हो जाने एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त ₹7.88 करोड़ का व्यय किये जाने के पश्चात भी बाईपास मार्ग का अपूर्ण रहना।

(प्रस्तर : 3.14)

- अनुबन्ध विलेख की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹19.79 करोड़ की अनधिकृत सहायता एवं शासन को ₹2.80 करोड़ के ब्याज की हानि।

(प्रस्तर : 3.15)

- स्वीकृति के 11 वर्षों के पश्चात ₹80.90 लाख व्यय करने के उपरान्त भी विभाग, जिला सिद्धार्थनगर में अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु बालिका छात्रावास

का निर्माण पूर्ण करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु निर्मित तीन छात्रावासों को क्रियाशील करने हेतु, उनके निर्माण के सात से नौ वर्षों के पश्चात भी कर्मचारियों एवं धनराशि की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप उनके निर्माण पर किया गया ₹3.64 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर : 3.16)

- आवासीय विद्यालय—परिसर के निर्माण हेतु त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार किये जाने, पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के पश्चात धनराशि अवमुक्त नहीं किये जाने एवं शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति हेतु विलम्ब से माँग प्रस्तुत किये जाने के कारण सोनभद्र एवं बहराइच में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अपूर्ण/असंचालित रहने के अतिरिक्त ₹ 25.39 करोड़ के व्यय का अलाभकारी रहना।

(प्रस्तर : 3.17)

- राजकीय पॉलीटेक्निक, उत्तरौला, बलरामपुर के निर्माण कार्य में अनुपयुक्त भूमि का चयन किये जाने एवं व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार नहीं किये जाने से, 10 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी उनके निर्माण पर किया गया ₹ 16.44 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर : 3.18)

- दुकानों में प्रवेश की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण 61 दुकानों के निर्माण पर किया गया ₹ 1.32 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर : 3.19)

- बचत खाते में निधियों को रखने के लिये शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का उल्लंघन कर नगर निगम, फिरोजाबाद ने अपनी निधियों को चालू खाते में रखा जिसके परिणामस्वरूप ₹2.49 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर : 3.20)

- आसरा योजनात्तर्गत 96 आवासों का निर्माण कार्य एक केन्द्र-संरक्षित स्मारक के निकट प्रारम्भ किए जाने से पूर्व जिला नगरीय विकास अभियान, कासगंज द्वारा पुरातत्व विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहने के कारण निर्माण कार्य, जिसे बाद में रोक दिया गया, पर ₹ 1.50 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

(प्रस्तर : 3.21)